कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जोधपुर

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

पंजीयन प्रमाण-पत्र

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित लोक न्यास राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 (1959 का 42) के अधीन सहायक देवस्थान आयुक्त जोधपुर के कार्यालय में आज के दिन रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।

लोक न्यास का नाम भक्त शिरोमणी कर्माबाई चेरिटेबल [illegible] स्कीम [illegible] जोधपुर

लोक न्यास के रजिस्टर में संख्या 52/2018 जोधपुर

प्रमाण पत्र पंजियन प्रमाण-पत्र कार्यवाहक न्यासी पदनाम — को जारी किया गया।

मेरे हस्ताक्षरों से आज दिनांक 01 माह 10 सन् 2018 को दिया गया

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
जोधपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

H 579953

NOTARY M.R. DELU JODHPUR (RAJ.) REG. No.-8419 Exp.Dt. 26.5.2021 GOVT. OF INDIA

ट्रस्ट विधान

रूपरेखा

मानवीय सर्वांगीण विकास, उत्थान एवं सामाजिक उन्नति एवं समाज में फैली कुरीतियों को मिटाकर शैक्षणिक विकास कर सामाजिक चेतना जागृत करके नारी विकास, सशक्तीकरण, शाकाहारी एवं व्यसन मुक्त समाज का निर्माण किया जाए। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा, शिक्षा का विकास, धर्मशालाओं, विद्यालय भवनो का निर्माण, अस्पताल, निशक्तजनों को सहयोग एवं प्राकृतिक एवं पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदाओं के समय जरूरतमंदो को अधिकाधिक सहायता प्रदान की जा सके। इस प्रयोजन के निमित एक चेरीटेबल ट्रस्ट की स्थापना की जाए ।

NOTARY, JODHPUR 17.05.2018

1. ट्रस्ट का नाम: इस ट्रस्ट का नाम "भक्त शिरोमणी करमा बाई चेरीटेबल ट्रस्ट" होगा।

2. पंजीकृत कार्यालय: इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय देवकृपा, 84 अभयगढ़ स्कीम, एयरफोर्स, एरिया जोधपुर (राज.) रहेगा।

3. कार्यक्षेत्र: इस ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र समस्त भारतवर्ष रहेगा।

4. ट्रस्ट के उद्देश्य : ट्रस्ट निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित किया गया है :–

(i) सर्वांगीण मानवीय विकास एवं चारित्रिक तथा नैतिक उत्थान हेतु कार्य करना।

(ii) जनसाधारण में परस्पर सौहार्द, सहिष्णुता व सामंजस्य के भाव उत्पन्न कर निःस्वार्थ अस्तित्व की प्रेरणा जागृत करना।

(iii) सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, स्कूलों, धर्मशालाओं, पुस्तकालय, प्याऊ, छात्रावासों, कॉलेजों, कृषि विकास केन्द्रो गौशालाओं के निर्माण,जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण, रख रखाव, संचालन एवं सहयोग प्रदान करना।

(iv) शिक्षा, चिकित्सा एवं आध्यात्मिक शिक्षा क्षेत्र के प्रचार प्रसार हेतु समुचित कार्य करना।

(v) चिकित्सा, रक्तदान शिविर, शिक्षा प्रसार हेतु सेमिनार, भूकम्प, बाढ़, अकाल तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं में जरूरतमंदों को मदद पहुँचाना एवं ऐसे कार्यों में लगी संस्थाओं से सहयोग लेना व देना।

NOTARY M.R. DELU JODHPUR (RAJ.) REG.No.-8419 Exp.Dt. 26.5.2021 GOVT. OF INDIA

NOTARY, JODHPUR

(vi) जरूरतमंद गरीब व पिछड़े वर्ग की महिलाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा तथा गरीब लड़कियों के विवाह एवं विधवाओं के पुनर्विवाह में सहयोग व मदद करना।

(vii) होनहार छात्र छात्राओं को शिक्षा में सहयोग, पारितोषण व छात्रवृति प्रदान करना।

(viii) खेलकूद, शारीरिक व मानसिक विकास हेतु खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करना, सहयोग करना व पारितोषिक वितरण करना।

(ix) वन्य जीव, गौ, पशु–पक्षी संरक्षण प्रदान करने हेतु कार्य करना।

(x) विभिन्न महापुरूषों, लोक देवताओं के धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन संचालन व सहयोग प्रदान करना।

(xi) सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धरोहरों को संरक्षण, सुरक्षा, पुननिर्माण, संचालन प्रबंधन एवं सहयोग प्रदान करना।

(xii) निशक्तजन, अपाहिज, असहाय लोगों को समुचित सहायता सुलभ कराना।

(xiii) ट्रस्ट हित में भूमि व भवन का क्रय–विक्रय करना एवं कोष का प्रबंधन, सुरक्षा करना।

(xiv) समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं, ट्रस्टो, समितियो को मदद देना–लेना एवं उनकों अपने ट्रस्ट में विलय करना।

NOTARY M.R. DELU JODHPUR (RAJ.) REG. No.-8419 Exp.Dt. 26.5.2021 GOVT. OF INDIA

NOTARY, JODHPUR

(XV) समस्त ऐसे कार्य करना जो ट्रस्ट के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हो।

5. ट्रस्टी एवंम पदाधिकारियों की नियुक्ति : इस ट्रस्ट के प्रारम्भ में 13 ट्रस्टी होंगे। इस संख्या में यथा आवश्यकता परिवर्तन किया जा सकेगा। ट्रस्ट में निम्न ट्रस्टी एवंम पदेन पदाधिकारी होंगेः–

1) श्री गेनाराम पूनिया पुत्र देवारामजी पूनिया निवासी देवकृपा 84, अभयगढ़ स्कीम एयरफोर्स एरिया, जोधपुर— प्रबन्धक ट्रस्टी

2) श्री डॉ होशियार सिंह चाहर पुत्र हरिरामजी निवासी 64, अभयगढ़ स्कीम एयरफोर्स एरिया, जोधपुर — कोषाध्यक्ष

3)श्री पूनारामजी दवां पुत्र मोमारामजी निवासी , निवासी– सी 142 कमला नेहरू नगर, प्रथम विस्तार योजना, जोधपुर —सचिव

4)श्री बद्रीराम जाखड़ पुत्र गणेशारामजी निवासी बी 6, श्रमिकपुरा मसूरिया, जोधपुर — ट्रस्टी

5)श्री ढ़गलाराम पूनिया पुत्र छोगारामजी निवासी बी 43, अरविन्द नगर, एयरफोर्स ऐरिया, जोधपुर — ट्रस्टी

6)श्री शेराराम सारण पुत्र श्री आसुराम जी सारण निवासी 27, ए रोड सारण नगर, जोधपुर — ट्रस्टी

7) श्री सुखदेव भाखर पुत्र ज्ञानारामजी निवासी 31, शुभम फार्मस, जोधपुर — ट्रस्टी

NOTARY, JODHPUR

NOTARY M.R. DELU JODHPUR (RAJ.) REG.No.-8419 Exp.Dt. 26.5.2021 GOVT. OF INDIA

8) श्री फूसारामजी बाडेटा पुत्र किरतारामजी निवासी ए 434, सरस्वती नगर, जोधपुर — ट्रस्टी

9) श्री रणवीर सिंह गोदारा पुत्र चोखारामजी निवासी ग्राम भणियाणा, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर — ट्रस्टी

10) श्री वीरेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र श्री हनुमानसिहजी निवासी 115 सुभाष चौक, रातानाडा, जोधपुर — ट्रस्टी

11) श्रीमती अरूणा चौधरी धर्मपत्नि श्री मोहनलालजी चोधरी निवासी 8बी, पंचवटी कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर — ट्रस्टी

12) श्री भगवती प्रसाद अग्रवाल पुत्र महाबीर प्रसाद निवासी 104 महाबीर नगर, महामंदिर तीसरी पोल के बाहर, जोधपुर — ट्रस्टी

13) श्री मोहन सुन्दरदास वैष्णव पुत्र सुन्दरदास वैष्णव निवासी बी 402, गोकुलनगरी 2, तदाणी पार्क नेशनल हाइवे, बोरीवली (पूर्व) मुम्बई — ट्रस्टी

6. <u>ट्रस्ट के पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार</u>–

अ) <u>प्रबंधक ट्रस्टी</u> – ट्रस्ट की साधारण, आपात व सालाना बैठक बुलाना, अध्यक्षता करना, संचालन करना, बैठक में आय–व्यय का विवरण प्रस्तुत करना एवं ट्रस्ट के उदेश्यों की पूर्ति हेतु सभी प्रकार के अन्य आवश्यकता कार्य करना।

NOTARY, JODHPUR

NOTARY
M.R. DELU
JODHPUR (RAJ.)
REG.No.-8419
Exp.Dt. 26.5.2021
GOVT. OF INDIA

ब) <u>कोषाध्यक्ष–</u> ट्रस्ट के सभी लेन–देन के कार्य करना, हिसाब रखना, बैंक खातों का संचालन, धन व कोष की व्यवस्था, दान–उपहार प्राप्त कर ट्रस्ट कोष में जमा करना, व्यय करना, वार्षिक आय–व्यय का विवरण तैयार करना, बही खातों का अंकेक्षण करवाना, विनियोजन करना।

स) <u>सचिवः–</u> प्रबंधक ट्रस्टी की सलाह से ट्रस्ट के सभी कार्यों में देखभाल करना, ट्रस्ट बोर्ड की बैठक की सूचना देना, व्यवस्था करना, बैठक की कार्यवाही विवरण लिखना, सभी अभिलेख लिखना, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

NOTARY
M.R. DELU
JODHPUR (RAJ.)
REG.No.-8419
Exp.Dt. 26.5.2011
GOVT. OF INDIA

<u>ट्रस्टी की नियुक्ति व हटानाः</u>

अ) कोई भी भारतीय नागरिक ट्रस्टी बन सकेगा लेकिन जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, वयस्क हो, पागल न हो, घोषित सजायाप्ता या दिवालिया न हो।

ब) प्रारम्भिक ट्रस्टी 11,000/– प्रति ट्रस्टी संस्था को एक मुश्त दान राशि देगे जो किसी भी अवस्था में वापसी नहीं होगी। यदि ट्रस्ट बोर्ड अपने सदस्य संख्या में वृद्धि करना चाहेगा तो वह अपने 2/3 सदस्यों के बहुमत से वृद्धि कर सकेगा।

NOTARY, JODHPUR

स) ट्रस्ट बोर्ड के किसी भी सदस्य के त्याग पत्र देने, मृत्यु हो जाने या अन्य किसी भी कारण से रिक्त हो जाने की अवस्था में ट्रस्ट के शेष बचे सदस्य दो तिहाई बहुमत द्वारा नये ट्रस्टी की नियुक्ती कर सकेंगे।

यदि ट्रस्ट का कोई पदाधिकारी या ट्रस्टी, ट्रस्ट के उदेश्यों के विपरित कार्य करे, ट्रस्ट की ख्याति को क्षति पहुंचाये अथवा ट्रस्ट की सम्पति को क्षति पहुचाने वाला कार्य करने पर ट्रस्ट बोर्ड दो तिहाई बहुमत से उसे ट्रस्टी पद से हटा सकेंगे।

8 ट्रस्ट की बैठक व गणपूर्ति–

अ) इस ट्रस्ट की वर्ष में न्यूनतम दो बैठके होगी। पदेन ट्रस्टी सचिव का दायित्व होगा कि वह न्यूनतम सात दिन पूर्व बैठक की सूचना पदाधिकारियों एवं सदस्यों को भिजवाये। इस बैठक में अन्य कार्यवाहियों के अतिरिक्त ट्रस्ट गतिविधियों का ब्यौरा प्रस्तुत कर सपुष्टि करवाई जायेगी।

आ) प्रबंधक ट्रस्टी की सहमति से कभी भी बैठक बुलाई जा सकेगी।

इ) ट्रस्ट बोर्ड से कुल सदस्य संख्या के 50 प्रतिशत सदस्यों की मांग पर कभी भी बैठक बुलाई जा सकेगी।

NOTARY, JODHPUR

NOTARY
M.R. DELU
JODHPUR (RAJ.)
REG.No.-8419
Exp.Dt. 26.5.2021
GOVT. OF INDIA

ई) मतदान की स्थिति में बराबर मतों की स्थिति में प्रबंधक ट्रस्टी के मत जिसके साथ होगा वह निर्णय ही मान्य होगा।

उ) ट्रस्ट बैठक के कोरम के लिए कुल सदस्य संख्या का 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। बैठक के नियत समय से 30 मिनट तक इंतजार किया जायेगा। कोरम पूरा न होने की स्थिति में बैठक दुबारा बुलाई जायेगी व ऐसी स्थिति में कोरमपूर्ति की आवश्यकता लागू नहीं होगी।

ऊ) ट्रस्ट के सभी निर्णय साधारण बहुमत द्वारा लिये जाएगे।

9 <u>ट्रस्ट की प्रारम्भिक सम्पतिः</u> इस ट्रस्ट के प्रारम्भिक ट्रस्टियों द्वारा दी गई दान राशि रूपये 143000/- अक्षरे.एक लाख तेयालिस हजार रूपये मात्र को डेडीकेट एवं मुंतकिल करके घोषित एवं कायम किया गया है। भविष्य में दान, सहायता, सहयोग, राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत अनुदान एवं अन्य स्त्रोतो से सम्पति से वृद्धि और विकास होता रहेगा।

10 <u>बैंक खाता–</u> ट्रस्ट का खाता भारत के किसी भी शेड्यूल, कॉपरेटिव बैंक अथवा डाक घर में खोला जा सकेगा। बैंक खातों का संचालन प्रबंधक ट्रस्टी एवं पदेन ट्रस्टी कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

11 ट्रस्ट का आर्थिक लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा अथवा भारत सरकार के नियमानुसार।

NOTARY M.R. DELU JODHPUR (RAJ.) REG.No.-8419 Exp.Dt. 26.5.2021 GOVT. OF INDIA

NOTARY, JODHPUR

12 इस ट्रस्ट के विधान में कभी भी 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकेगा परन्तु इसके मुलभूत एवं आवश्यक उद्देश्य में परिवर्तन नहीं कर सकेगे।

13 ट्रस्ट के कोई भी पदाधिकारी, ट्रस्टी, ट्रस्ट से किसी भी प्रकार का वेतन परिलाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ट्रस्ट का वेतनभोगी कर्मचारी ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं हो सकेगा।

14 ट्रस्ट की सम्पति को कय, विकय, रहन संबंधी निर्णय 2/3 बहुमत से ही लिये जा सकेंगे।

15 किसी आकस्मिक व देवीय कारणों से यदि ट्रस्ट का विघटन करना पड़े तो ट्रस्ट की समस्त देनदारियां चुकता कर बाकी सम्पतियों सहित किसी समान विचार धारा वाली संस्था में विलय किया जा सकेगा। इसके लिए ट्रस्ट की सर्व सम्मति होना आवश्यक होगा।

16 ट्रस्ट की और से अथवा ट्रस्ट के विरूद्ध विधिक समस्त कार्यवाही की प्रतिरक्षा प्रबंधक ट्रस्टी व पदेन ट्रस्टी सचिव द्वारा की जायेगी अथवा ट्रस्ट बोर्ड द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी।

NOTARY, JODHPUR

NOTARY
M.R. DELU
JODHPUR (RAJ.)
REG.No.-8419
Exp.Dt. 26.5.2021
GOVT. OF INDIA

17 ट्रस्ट बोर्ड द्वारा ट्रस्ट के कार्यों हेतु अंवेक्षक, कर्मचारी, अधिवक्ता, सलाहकार, विशेषज्ञ की वेतनिक व अवैतनिक नियुक्ति कर सकेंगे व हटा सकेंगे।

(गेनाराम पूनिया) (डॉ होशियार सिह चाहर) (सुखदेव माखर)

(ढगलाराम पूनिया) (विरेन्द्र सिह चौधरी) (भगवती प्रसाद अग्रवाल)

(श्रीमति अरूणा चौधरी) (मोहनसुन्दर दास वैष्णव) (पूनाराम चौधरी)

(रणवीर सिंह गोदारा) (फूसाराम बाडेटा) (बद्रीराम जाखड)

(शेराराम सारण)

NOTARY
M.R. DELU
JODHPUR (RAJ.)
REG.No.-8419
Exp.Dt. 26.5.2011
GOVT. OF INDIA

ATTESTED

NOTARY. JODHPUR 17.05.2018